अनुदान संख्या 13 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13–DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
पूरक	*Supplementary*			*7,00*	*6,97*	*–3*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीक त-	Voted–			5939,25,00	5492,15,35	–447,09,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					495,17,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
मूल	Original	200,75,00		708,67,00	693,94,91	–14,72,09
पूरक	Supplementary	507,92,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,64,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (49517.00 लाख रु.) 44709.65 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.49517.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.44709.65 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	25097.00	23177.00	22418.17	–758.83
पु.	R.	–1920.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2071'' पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	159000.00	192300.00	198281.29	+5981.29
पु.	R.	33300.00			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1750.00	150.00	. .	–150.00
पु.	R.	–1600.00			
मुख्य शीर्ष ''3275'' अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	408078.00	328781.00	328515.89	–265.11
पु.	R.	–79297.00			

(I) 1758.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1750.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमेटिक्स विकास केंद्र'' - 1600.00 लाख रु. योजना परिव्यय को कम कर दिए जाने की वजह से 10% सकल बजट सहायता का समग्र समायोजन किए जाने के कारण थे।

(खा) ''अन्य संचार सेवाएं - बेतार निगरानी सेवा - बेतार निगरानी संगठन'' - 150.00 लाख रु. परियोजना कार्यान्वयन

(I) Provision of Rs.1758.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1750.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Secretariat – Economic Services - General Administration - Department of Telecommunications – Centre for Development of Telematics"- Rs.1600.00 lakhs – due to overall adjustment of 10% Gross Budgetary Support owing to reduction of Plan Outlay.

(B) "Other Communication Services - Wireless Monitoring Service – Wireless Monitoring

इकाई का गठन न किए जाने की वजह से तकनीकी स्कीमें लागू न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" - 2800.00 लाख रु. की बचत (13700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाणिज्यिक आधार पर समाशोधन गृह अनुप्रयोग लागू किए जाने के लिए आयामीय अवसंरचना स्थापित किए जाने और ब्राडबैंड कार्यकलापों के व्यवहार्यता अध्ययन में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "प्रशासक - विश्वव्यापी सेवा निधि" - 119.45 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिकरण कार्यों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणीकरण केंद्र" - 198.66 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुरक्षा जांच की पद्धति के मानक तैयार किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी कक्ष" - 338.89 लाख रु. की बचत (1515.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निगरानी सेवाएं - बेतार निगरानी सेवाएं" - 543.34 लाख रु. की बचत (2085.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन इकाई गठित न किए जाने की वजह से तकनीकी स्कीमें लागू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विश्वव्यापी सेवा दायित्व संबंधी सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति - सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - 40000.00 लाख

Organisation"- Rs.150.00 lakhs - due to non-implementation of technical schemes owing to non-creation of project implementation unit.

(II) Under Major Head "3451" - "General Administration - Department of Tele-communications" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Centre for Development of Telematics" – saving of Rs.2800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13700.00 lakhs) was due to delay in setting up of dimensioned infrastructure for implementation of clearing house application on commercial basis and feasibility study of broadband activities.

(B) "Administrator – Universal Service Fund" – saving of Rs.119.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non-implementation of agency functions.

(C) "Telecom Testing and Security Certification Centre" – saving of Rs.198.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in framing of standards and methodology for security testing.

(D) "Vigilance Telecom Monitoring Cells"- saving of Rs.338.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1515.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Monitoring Services – Wireless Monitoring Services" - saving of Rs.543.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2085.00 lakhs) was due to non-implementation of technical schemes owing to non-creation of project implementation unit.

(B) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation – Compensation to

रु. की बचत (200000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''आरक्षित निधियों को अंतरण - विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण'' - 40000.00 लाख रु. की बचत (200000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नई स्कीम शुरू न किए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 94.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग'' -

(क) ''लेखा परीक्षा प्रभारों के भाग के लिए मुख्य शीर्ष ''3201'' - डाक सेवाएं से अंतरित राशि'' - 157.00 लाख रु. का अधिक व्यय (43.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक विभाग से प्राप्त बकाया दावों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''निदेशालय'' - 440.07 लाख रु. का अधिक व्यय (7459.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र'' - 197.81 लाख रु. का अधिक व्यय (758.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' -

(क) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन - 31194.56 लाख रु. का अधिक व्यय (81500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

Service Providers" – saving of Rs.40000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200000.00 lakhs); and

(C) "Transfer to Reserve Funds – Transfer to Universal Service Obligation Fund" – saving of Rs.40000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-launching of new scheme.

(IV) Under one head saving of Rs.94.92 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications" -

(a) "Amount transferred from MH "3201" - Postal Services on account of share of Audit Charges" – excess of Rs.157.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.43.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear outstanding claims received from Department of Posts.

(b) "Directorate" – excess of Rs.440.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7459.00 lakhs);

(c) "Telecommunication Engineering Centre" – excess of Rs.197.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.758.00 lakhs);

(B) Major Head "2071" - "Civil" -

(a) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of Rs.31194.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81500.00 lakhs);

(ख) ''पेंशनों का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन'' - 3824.24 लाख रु. का अधिक व्यय (28000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''उपदान - सामान्य पेंशन'' - 158.34 लाख रु. का अधिक व्यय (33500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''परिवार पेंशन - परिवार पेंशन'' - 4160.40 लाख रु. का अधिक व्यय (15480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3275'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग''- 110.43 लाख रु. का अधिक व्यय (1430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(ख) ''आईटीआई, बंगलौर'' - 910.97 लाख रु. का अधिक व्यय (645.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटीआई लिमिटेड को हानि होने और तत्संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 94.65 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(b) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – excess of Rs.3824.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28000.00 lakhs);

(c) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of Rs.158.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33500.00 lakhs); and

(d) "Family Pensions - Family Pensions" – excess of Rs.4160.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15480.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission's recommendations.

(C) Major Head "3275" – "Other Expenditure" -

(a) "International Co-operation"- excess of Rs.110.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1430.00 lakhs) was due to change in exchange rates.

(b) "ITI, Bangalore" – excess of Rs.910.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.645.00 lakhs) was due to losses sustained by the ITI Ltd. and compensation thereof.

(II) Under one head excess of Rs.94.65 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00			
पू.	S.	3768.00	145.00	. .	–145.00
पु.	R.	–5623.00			
मुख्य शीर्ष ''5275'' अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	18075.00			
पू.	S.	34524.00	57058.00	56894.91	–163.09
पु.	R.	4459.00			

(I) 7883.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7643.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.7883.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.7643.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क'' - 5568.00 लाख रु. (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 3768.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" – "Capital Outlay on Other Communication Services – Other Expenditure - OFC based network for Defence Services" – Rs.5568.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.3768.00 lakhs obtained in February, 2009) – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''5275'' - ''अन्य व्यय'' -

(क) ''दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र'' - 875.00 लाख रु. अगली पीढ़ी के नेटवर्क की परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मानक तैयार किए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(B) Major Head "5275"- "Other Expenditure"-

(a) "Telecom Engineering Centre" – Rs.875.00 lakhs – due to delay in formulation of standards of Next Generation Network (NGN) test labs.

(ख) ''भूमि और अंडमान निकोबार के बीच समुद्र में तार बिछाना'' - 500.00 लाख रु. स्कीम के ब्योरे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ग) ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण'' - 700.00 लाख रु. दिल्ली विकास प्राधिकरण से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 84.82 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

4.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5275'' - ''अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 6400.58 लाख रु. क अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 34524.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 49724.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 95.15 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत था।

5. ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण***

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्र्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2008-09 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

(b) "Undersea Cabling between Land and Andaman Nicobar" – Rs.500.00 lakhs – due to non-finalisation of details of the scheme.

(c) "Telecom Regulatory Authority of India" – Rs.700.00 lakhs – due to non-receipt of demand letter from Delhi Development Authority.

(II) Under one head saving of Rs.84.82 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "5275" – "Other Expenditure – OFC based network for Defence Services" – excess of Rs.6400.58 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.49724.00 lakhs including supplementary grant of Rs.34524.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to receipt of more claims from Bharat Sanchar Nigam Limited.

(II) Under one head excess of Rs.95.15 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

5. ***Telecom Regulatory Authority of India***

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and afforedable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 9th January, 2004, broadcasting and cables services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

The Account of the Fund for 2008-09 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	15,01,78
प्राप्तियां	Receipts	27,80,00
अदायगियां	Payments	25,95,00
अंतशेष	Closing Balance	16,86,78

6. ***विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि***

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्ययोग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर विचार किया गया है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जोकि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का अंतरण बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2008-09 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

6. ***Universal Service Obligation Fund***

The New Telecom Policy 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of license fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per Budgetary procedure.

The Account of the Fund for 2008-09 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipts	1600,00,00
अदायगियां	Payments	1600,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य Nil